उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल।

माननीय श्री जस्टिस आलोक कुमार वर्मा

6 जनवरी, 2022

प्रथम जमानत आवेदन संख्या 1086/2019

के बीचः

रवि कुमार ....आवेदक

और

उत्तराखंड राज्य। ...प्रतिवादी

आवेदक के लिए वकीलः विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष बिष्ट, विद्वान अधिवक्ता श्री विपुल शर्मा के ब्रीफ होल्डर

प्रतिवादी के लिए वकीलः राज्य के लिए श्री टीसी अग्रवाल, विद्वान उप महाधिवक्ता।

माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे.

वर्तमान जमानत आवेदन थाना ट्रांजिट कैम्प, जिला ऊधम सिंह नगर में पंजीकृत एफआईआर नंबर 307/2018 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी आई.पी.सी. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के संबंध में नियमित जमानत देने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. मृतका के पिता राजेंद्र कुमार, सूचनाकर्ता ने प्राथमिकी इस आशय की दर्ज कराई कि उनकी बेटी श्रीमती शिवानी का विवाह दो साल छः महीने पहले वर्तमान आवेदक के साथ हिंदू संस्कारों के अनुसार किया गया था। विवाह के उपरांत आवेदक ने दहेज में एक लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग कर, मृतका को परेशान करना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब सूचनाकर्ता द्वारा उक्त मांग को पूरा नहीं किया गया तो आवेदक द्वारा मृतका को परेशान और प्रताड़ित किया गया था। उसने मृतक के साथ मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस कारण से, सूचनाकर्ता मृतका को अपने घर वापस ले आया। इस घटना के दो महीने बाद, आवेदक सूचनाकर्ता के घर आया और मृतका को अपने साथ ले गया। 02.12.2018 को वर्तमान आवेदक ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका की हत्या कर दी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट 05.12.2018 को 17.05 बजे दर्ज की गई।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विपुल शर्मा के ब्रीफ होल्डर विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष बिष्ट और राज्य की ओर से विद्वान उप महाधिवक्ता श्री टीसी अग्रवाल को सुना।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष बिष्ट ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है; प्राथमिकी 05.12.2018 को दर्ज की गई थी, जबकि, कथित घटना 02.12.2018 को हुई थी, आईपीसी की धारा 304बी के तहत कोई अपराध

उसके खिलाफ नहीं बनता है; उसने कथित दहेज की कभी मांग नहीं की; कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, यहां तक कि पड़ोसियों को भी उक्त क्रूरता के आरोप को प्रमाणित करने के लिए गवाह नहीं बनाया गया है; पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट है कि मृतका के शव पर कोई बाहरी चोट नहीं थी तथा मृत्यु का कारण निश्चित नहीं है, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह 20.12.2018 से अभिरक्षा में है।

5. विपरीत इसके श्री टीसी अग्रवाल, राज्य के लिए विद्वान उप महाधिवक्ता, ने जमानत आवेदन का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अन्वेषण के दौरान, साक्ष्य प्रस्तुत हैं कि आवेदक–पति द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग कर, क्रूरता की गई। उन्होंने यह भी कहा है कि बिसरा रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के शरीर में ऑर्गनो क्लोरो विष पाया गया था।

6. प्राथमिकी दर्ज करने में देरी क्या इतनी लंबी है कि इससे अभियोजन मामले के बीज पर संदेह के बादल आ जाते हैं, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर होना चाहिए जो मामले से अलग–अलग होंगे।

7. जमानत के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। लेकिन, जमानत देते समय, उच्च न्यायालय अन्य अदालत के समान विचारों द्वारा निर्देशित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध की गंभीरता, साक्ष्य के चरित्र और इस तरह के अन्य आधारों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

8. **कल्याण चंद्र सरकार बनाम के मामले में राजेश रंजन, (2004) 7 एससीसी 528** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जमानत देने या इन्कार करने के संबंध में विधि सुस्थापित है। जमानत देने वाली अदालत को विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए न कि निश्चित रूप से। यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्य की एक विस्तृत परीक्षा और मामले की योग्यता के विस्तृत दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालने के कारण कि जमानत क्यों दी जा रही थी, के संकेत देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

9. **यूपी राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी, (2005) 8 एससीसी 21** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह सुस्थापित है कि जमानत के लिए एक आवेदन में विचार किए जाने वाले मामले हैं (i) क्या यह मानने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता, (iii) सजा की स्थिति में सजा की गंभीरता, (iv) यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा, (v) चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति व अभियुक्त का रूतबा, (vi) अपराध को दोहराने की संभावना, (vii) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका, और (viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा।

10. यह निर्धारित करने में कि क्या जमानत देनी है, आरोप की गंभीरता और सजा की गंभीरता दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जमानत के लिए एक आवेदन को निपटाने के दौरान, प्रथम दृष्टया कारणों पर विचार करते हुए कि जमानत क्यों दी जा रही है, आदेश में संकेत देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जहां एक अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है। कोई भी बिना कारण का आदेश मस्तिष्क का प्रयोग ना करने से ग्रस्त है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य, (2002) 3 एससीसी 598** के मामले में माना गया है।

11. **अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी) और एक अन्य, 2018 (1) सीसीएससी 117** में सर्वोच्च न्यायालय यह निष्कर्ष दिया है कि गंभीर अपराधों में, केवल यह तथ्य कि अभियुक्त एक वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में है, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए एक प्रासंगिक विचार नहीं हो सकता है।

12. निस्संदेह, आवेदक का विवाह मृतका की मृत्यु से दो साल छह महीने पूर्व हुआ था तथा विवाह के सात साल के अन्दर, मृतका अप्राकृतिक परिस्थितियों में मर गई। अन्वेषण के दौरान, साक्ष्य पेश की गई हैं कि आवेदक द्वारा दहेज की मांग के लिए मृत्यु से पहले मृतका के साथ क्रूरता की गई। इस स्तर पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113बी के प्रावधान की उपधारणा आवेदक के विरुद्ध आकर्षित होती है। इस स्तर पर साक्ष्य पर विस्तृत चर्चा करना अनुचित होगा। इस स्तर पर, साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण करने से मामले के गुणदोष पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आवेदक इस अपराध में शामिल था। आवेदक को फंसाने का कोई कारण नहीं पाया गया है।

13. इसलिए, आवेदक के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुतिकरण में कोई बल नहीं है और इस स्तर पर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने हेतु कोई अच्छा आधार नहीं पाया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है। फलस्वरूप जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत आवेदन के बारे में की गई टिप्पणियां इस स्तर पर पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के प्रकाश में, इस जमानत के निर्णय तक ही सीमित हैं कि जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। उक्त अवलोकन मामले के परीक्षण को प्रभावित नहीं करेंगे।

_____

आलोक कुमार वर्मा, जे.

दि0 6 जनवरी, 2022
नेहा